

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर

क्रमांक:- ०४/स्थापना/2023

दिनांक:- 21 फरवरी 2023

कार्यालय आदेश

(रिमाण्ड ड्यूटी - मार्च, 2023)

मैं इन्दु उज्वल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर दं.प्र.सं. की धारा 14 व 15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेड़ता न्यायक्षेत्र में माह मार्च, 2023 में राजपत्रित अवकाशों के दौरान रिमाण्ड, धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता, मृत्युकालीन कथन, अभिरक्षा में हुई मृत्यु के कारणों की जांच आदि आवश्यक फौजदारी कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाती हूँ, जो अपने पदस्थापन मुख्यालय पर उपस्थित रहकर संबंधित ब्लॉक में स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित उपरोक्त आवश्यक कार्य का सम्पादन करेंगे।

क्रम संख्या	दिनांक	नागौर + मेड़ता ब्लॉक नाम अधिकारी सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	डीडवाना + परबतसर ब्लॉक नाम अधिकारी सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री
1	05 मार्च, 2023 रविवार 06 मार्च, 2023 07 मार्च, 2023 होली अवकाश	सम्पूर्ण मेड़ता न्यायक्षेत्र सोनिया गौरी न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना	
2	11 मार्च, 2023 द्वितीय शनिवार	पूर्णमा यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट, जायल	विमल व्यास अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनू
3	12 मार्च, 2023 रविवार 19 मार्च, 2023 रविवार	सम्पूर्ण मेड़ता न्यायक्षेत्र एलिजा गुप्ता अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, नागौर	
4	23 मार्च, 2023 चेटीचंड 24 मार्च, 2023 स्थानीय अवकाश	सम्पूर्ण मेड़ता न्यायक्षेत्र नीलम मीणा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना	
5	25 मार्च, 2023 चतुर्थ शनिवार 26 मार्च, 2023 रविवार	यास्मीन खान न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर	जया सैनी न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना
6	30 मार्च, 2023 रामनवमी	कविता कच्छवाहा न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता	सोनल पारीख अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना

नोट संख्या 1- माह मार्च, 2023 में आकस्मिक रूप से घोषित अवकाश के दिन अथवा उपरोक्त अधिकृत अधिकारीगण में से किसी अधिकारी के अवकाश पर रहने पर आवश्यक फौजदारी कार्य हेतु अधिकृत अधिकारीगण-

क्रम संख्या	दिनांक	नागौर + मेड़ता ब्लॉक नाम अधिकारी सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	डीडवाना + परबतसर ब्लॉक नाम अधिकारी सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री
1	01 मार्च 2023 से 15 मार्च 2023	निधि तुनवाल अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता	ममता सैनी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां
2	16 मार्च, 2023 से 31 फरवरी 2023	यास्मीन खान न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर	मनी वालिया अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परबतसर

नोट संख्या 2-

- 1) अपरिहार्य कारणों से सारणी संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में नोट संख्या 1 प्रभावी रहेगा।
- 2) अधिकृत अधिकारी की उक्त रिमाण्ड ड्यूटी का प्रारम्भ ड्यूटी वाले दिवस/दिनांक से ठीक पूर्व के कार्य दिवस को कार्यालय समय बाद से होगा एवं संबंधित राजपत्रित अवकाश के दिवस के अतिरिक्त उक्त राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक ड्यूटी रहेगी।
- 3) आकस्मिक रूप से घोषित होने वाला अवकाश यदि किसी राजपत्रित अवकाश के ठीक बाद के कार्य दिवस को है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजपत्रित अवकाश हेतु अधिकृत अधिकारी की ड्यूटी उक्त घोषित अवकाश एवं आगामी कार्यदिवस को कार्यालय समय पूर्व तक के लिए मान्य होगी।
- 4) संबंधित राजपत्रित अवकाश के दिवस के लिए रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति/अनुमति चाहे जाने की स्थिति में व अपने स्थान पर कार्य करने हेतु अन्य अधिकारी का सहमति पत्र इस कार्यालय में प्रेषित कर स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।
- 5) रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले समस्त पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि रिमाण्ड के दौरान किए गए कार्य से संबंधित रिमाण्ड कागजात एवं अन्य आवश्यक कागजात जिस न्यायालय से संबंधित हों, उसी न्यायालय को पत्र के साथ प्रेषित किए जावें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नागौर

क्रमांक:- 134

दिनांक:- 24 फरवरी, 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, मेड़ता।
2. श्रीमान पारिवारिक न्यायालय, मेड़ता
3. श्रीमान मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, मेड़ता
4. श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश, एस सी एस टी प्रकरण, मेड़ता
5. श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो प्रकरण संख्या 1 व 2, मेड़ता
6. श्रीमान अपर सेशन न्यायाधीश, सं.1, 2 नागौर, मेड़ता, मकराना, परबतरसर, डीडवाना, कुचामन, लाडनूं
7. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1 व 2 नागौर, मेड़ता
8. न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर, मेड़ता, जायल, डीडवाना, मकराना
9. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर, मेड़ता, डेगाना, मकराना, परबतरसर, नावां, डीडवाना, लाडनूं, कुचामन
10. संबंधित पीठासीन अधिकारी बार को सूचना देवे एवं एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
11. जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने अधीनस्थ सभी वृत्ताधिकारियों व थानाधिकारियों को सूचित करें।
12. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, नागौर।
13. जिला आबकारी अधिकारी, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि वह अपने अधीनस्थ सभी आबकारी थानों एवं आबकारी वृत्तों को सूचित करावें।
14. प्रभारी अधिकारी जिला कारागृह, नागौर
15. रक्षित पत्रावली

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर।